8
अध्याय

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. कोल इंडिया लिमिटेड

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) निजी कोयला खानों को सरकार के स्वामित्व में लेते हुए एक संगठित राज्य स्वामित्व वाले कोयला खनन कार्पोरेट के रूप में नवम्बर, 1975 में अस्तित्व में आया। 79 मिलियन टन के कम उत्पादन से सीआईएल आज विश्व में एक सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है।

सीआईएल, खान से बाजार तक सर्वोत्तम पद्धतियों के जरिए, पर्यावरण की दृष्टि से और सामाजिक तौर पर सतत वृद्धि प्राप्त करते हुए प्रमुख ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक कंपनी के रूप में उभरने के लिए एक समग्र योजना के दायरे के भीतर कार्य करता है। कोल इंडिया लि. के प्रमुख अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक हैं। उनकी सहायता के लिए चार कार्यकारी निदेशक अर्थात निदेशक (तकनीकी), निदेशक (कार्मिक तथा औद्योगिक संबंध), निदेशक (वित्त) और निदेशक (विपणन) हैं। सीआईएल की प्रत्येक सहायक कंपनियों के अपने निदेशक मंडल हैं जिनके प्रमुख अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक हैं। इसके अलावा, सातों उत्पादन कंपनियों में 4–4 कार्यकारी निदेशक अर्थात् निदेशक (कार्मिक), निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी/आयोजना एवं परियोजना) और निदेशक (तकनीकी/प्रचालन) हैं। एक अन्य सहायक कंपनी सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीट्यूट लि. (सीएमपीडीआईएल) है जिसके निदेशक मंडल में चार कार्यकारी निदेशक अर्थात् निदेशक (तकनीकी) इंजीनियरिंग सेवा, निदेशक (कोयला संसाधन और विकास), निदेशक (आयोजना एवं डिजाइन) और निदेशक (अनुसंधान, विकास एवं प्रौद्योगिकी) हैं। इसके अतिरिक्त, सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों के निदेशक बोर्ड में कुछ अंश–कालिक अथवा मनोनीत निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के संगम अनुच्छेद तथा सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने 596.22 मि.ट. कोयले का उत्पादन किया और 574.48 मि.ट. का ऑफटेक प्राप्त किया। इसकी सकल बिक्री 126786.13 करोड़ रू. है। सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने रॉयल्टी, उपकर, बिक्री कर और अन्य उप–शुल्कों के लिए 41987.79 करोड़ रू. का भुगतान/समायोजन किया। सीआईएल ने 12.50 रू. प्रति शेयर की दर से 7703.43 करोड़ रू. के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया, उपर्युक्त में से भारत सरकार का शेयर 5094.55 करोड़ रू. था। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने प्रति शेयर 3.50 रू. के अंतिम लांभाश की सिफारिश भी की है।

2. सीआईएल की कार्यनीतिक संबद्धता

- सीआईएल भारत के समग्र कोयला उत्पादन का लगभग 80 % उत्पादन करता है।
- लगभग 55 % प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा कोयले पर निर्भर करती है, सीआईएल अकेले ही लगभग 40 % प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करता है।
- जबकि भारत में विद्युत उपयोग क्षेत्र की कुल कोयला आपूर्ति में से, 72 % कुल विद्युत उत्पादन कोयला आधारित है, सीआईएल लगभग 83 % आपूर्ति करता है और सीआईएल की कुल आपूर्ति में से, लगभग 80 % विद्युत क्षेत्र के लिए होता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में की गई कमी के आधार पर कोयले की आपूर्ति करता है।
- यह भारतीय कोयला उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य के उतार–चढ़ाव को झेल पाने लायक बनाता है।
- यह अन्त्य उपयोगकर्त्ता उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है और 'आत्मनिर्भर भारत' में एक मुख्य भूमिका निभाता है।

वर्ष 2020–21 (दिसंबर, 2020 तक) में उपलब्धियां

महामारी कोविड–19 के प्रकोप और उसके बाद के लॉकडाउन को लागू करने के परिणामस्वरूप विद्युत और गैर–विद्युत क्षेत्र द्वारा कोयले की मांग में कमी आई, जिसने सीआईएल से कोयला प्रेषण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। कोयला उत्पादन को उच्च पिट हेड कोयला भंडार, विद्युत घरों में पर्याप्त कोयला भंडार और कम उठाव के कारण नियंत्रित किया गया था। सीआईएल ने मांग बढ़ने पर त्वरित उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए ओबी रिमूवल पर जोर देने की कार्यनीति बनाई।

596.22 मिलियन टन पर सीआईएल का उत्पादन एमओयू लक्ष्य की 90.34% उपलब्धि थी।

वित्त वर्ष 2011 की दूसरी तिमाही में, खराब मानसून और महामारी संबंधी कठिनाइयों का सामना करते हुए, सीआईएल ने 10.6% की वृद्धि दर्ज करते हुए, उत्पादन में 11 मिलियन टन की सकारात्मक वृद्धि करते हुए जोरदार वापसी की।

कार्य–निष्पादन की गति वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर–दिसंबर, 20) में भी 6.3% उत्पादन वृद्धि के साथ कायम रही।

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जो अब एक स्थापित प्रथा के रूप में बदल रही है, ने लगातार छठे वर्ष अपने वार्षिक उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। 2020–21 के दौरान एनसीएल ने वित्तीय वर्ष समाप्त होने से छह दिन पहले 113 मिलियन टन का लक्ष्य हासिल किया , जिसमें 6.47% की वृद्धि दर्ज की गई।

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने उत्पादन की गति को बनाए रखते हुए लगातार तीसरे वर्ष 150 मिलियन टन का आंकड़ा पार किया। इसने वित्त वर्ष 2021 में चार अवसरों पर प्रति दिन 1 मिलियन टन के कोयला उत्पादन को पार कर लिया था।

महामारी की चुनौती को दरकिनार करते हुए, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 5.45% उत्पादन वृद्धि दर्ज की।

कोल इंडिया लिमिटेड ने पिछले वर्ष की तुलना में 16.49% की वृद्धि के बाद पूरे वित्त वर्ष, 2021 में ओबीआर में लगातार विकास ट्रेजेक्टरी बनाए रखा। सीआईएल ने पिछले वर्ष के 1154. 33 मिलियन घन मीटर की तुलना में वित्त वर्ष, 21 के दौरान 1344.68 मिलियन घन मीटर ओबी का उत्खनन किया हैं।

2020–21 के दौरान ओबीआर वॉल्यूम के अनुसार अब तक का सबसे अधिक और एक दशक में वृद्धि प्रतिशत के अनुसार से दूसरा सबसे ज्यादा था। ओबीआर भविष्य में तेजी से कोयला उत्पादन की सुविधा प्रदान करता है।

कम्पोजिट उत्खनन, जो ओसी खानों में कोयले और ओबी का निष्कर्षण है, वर्ष के दौरान 1699 मिलियन घन मीटर था, जो वित्त वर्ष 2010 के 1512 मिलियन घन मीटर की तुलना में 12.39% की वृद्धि दर्ज करता है ।

2021–22 (नवंबर, 2021 तक) में उपलब्धियां

पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5.6 की वृद्धि के साथ 2021–22 (नवंबर, 2021 तक) में 353.410 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया।

पहली तिमाही में उत्पादन वृद्धि कोविड–19 की दूसरी लहर के प्रभाव के कारण सीमित थी। दूसरी तिमाही में आकस्मिक बारिश ने कार्य–निष्पादन को प्रभावित किया। अगस्त, 21 के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर, 21 के मध्य तक, आयातित कोयले की कीमतों में असामान्य वृद्धि के कारण विद्युत संयंत्रों के लिए पर्याप्त कोयले की आपूर्ति के लिए सीआईएल पर जबरदस्त दबाव था। सीआईएल ने अवसर का लाभ उठाकर पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति की। तब से स्थिति सामान्य हो गई थी और अक्टूबर, 21 और नवंबर, 21 के महीनों में सीआईएल ने अब तक का सबसे अधिक उत्पादन और ऑफटेक प्राप्त किया ।

3. सीआईएल में परिवर्तनकारी मानव संसाधन पहल:

सीआईएल ने अन्यों के साथ–साथ निम्नलिखित मानव संसाधन परिवर्तनकारी पहल की हैं:–

3.1 एचआर नियमावली का प्रकाशन

सीआईएल कार्यकारी एचआर मैनुअल – कार्यकारी मानव संसाधन नियमों और नीतियों के सारांश का लगातार अद्यतन किया गया है और इसे सीआईएल की वेबसाइट में माननीय कोयला मंत्री द्वारा 01.11.2020 को लॉन्च करने के बाद से प्रत्येक महीने की 1 तारीख को प्रकाशित किया गया है। से एमओसी। यह अब एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य कर रहा है जो न केवल

नियमों और नीतियों के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा बल्कि अधिकारियों के मानव संसाधन से संबंधित सभी मामलों से निपटने में खुलापन और पारदर्शिता भी पैदा करेगा।

4. एचआर नीतियों/नियमों की समीक्षा

एक सतत प्रक्रिया के रूप में, सीआईएल की मानव संसाधन नीतियों/नियमों को अन्य सीपीएसई, सरकारी दिशानिर्देशों और संगठन की समकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुधारने हेतु अन्य सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ बेंचमार्क किया गया है। इस उपयोग के तहत चालू वर्ष में लगभग 5 नई नीतियां/नियम बनाए गए हैं और 11 मौजूदा नीतियों/नियमों को संशोधित किया गया है। कुछ नीतियां और नियम अनुमोदन के चरण में हैं। प्रमुख नीतियों / नियमों में आचरण अनुशासन और अपील नियम, सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना, पदोन्नति नीति, भर्ती नियम, संवर्ग योजनाएं, ईडी पदों का निर्माण, बाय बैक योजना, एफटीसी आधार पर संबद्धता आदि शामिल हैं।

5. सीआईएल के लोगों का कार्य निष्पादन

कर्मचारी भारत में कोयला खनन के केंद्रीय विषय हैं और सीआईएल में लोगों की प्रक्रियाओं में न केवल कंपनी के प्रचालनों की मूल्य श्रृंखला में कई हितधारक शामिल हैं, बल्कि ऐसे प्रचालनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले लोग भी शामिल हैं। कई हितधारकों में कंपनी के स्वयं के कर्मचारी और उनके परिवारों, लगभग **83,815** ठेकेदार के श्रमिक, कोयला क्षेत्रों के आसपास के ग्रामीण, सहायक उद्योग, कोलफील्ड्स आदि में प्रचालनरत सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां शामिल हैं। कोल इंडिया लि. एक बड़े सामाजिक उद्देश्य के साथ, सभी हितधारकों के लिए पूर्ण रुप से प्रतिबद्ध है और उपयुक्त विकास के लिए अपने लोगों, नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्रित होते हुए कंपनी के हितधारकों की बदलती हुई जरूरतों के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

जनशक्ति

01.12.2021 की स्थिति के अनुसार सीआईएल तथा उसकी सहायक कंपनियों की कुल जनशक्ति **2,51,978** हैं। जनशक्ति की कंपनी–वार स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कंपनी	01.12.2020 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति	01.12.2021 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति
1	ईसीएल	55,734	53,636
2	बीसीसीएल	42,089	39,706
3	सीसीएल	37,197	36,194
4	डब्ल्यूसीएल	38,516	36,113
5	एसईसीएल	48,690	45,151
6	एमसीएल	21,813	21,930
7	एनसीएल	13,932	14,468
8	एनईसी	1,023	824
9	सीएमपीडीआई	3,123	3027
10	डीसीसी	237	191
11	सीआईएल (मुख्यालय)	751	740
	कुल	**2,63,105**	**2,51,978**

6. कर्मचारी कल्याण

कोल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करता है। समाज के सभी वर्गों जैसे– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों के साथ–साथ समाज के अन्य हाशिए के वर्गों को बिना किसी भेदभाव के जो सुविधाएं दी जाती हैं, वे नीचे दी गई हैं: –

क. आवासीय सुविधाएं:

सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में, सभी पात्र कर्मचारियों को उपलब्धता और कंपनी नियमों के अध्यधीन कंपनी क्वार्टर प्रदान किए जाते हैं। हमारे कर्मचारियों को उचित आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए इन आवासों की पूरी मरम्मत करने के साथ–साथ नियमित रूप से इनकी मरम्मत और देख–रेख की जाती है।

राष्ट्रीयकरण के समय, अवमानक घरों सहित केवल 1,18,366 घर थे। इन घरों की उपलब्धता बढ़कर 3,94,806 हो गई है । आवास संतुष्टि का प्रतिशत अब 100% तक पहुंच गया है।

ख. जल आपूर्ति

कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कई जलापूर्ति योजनाएं शुरू की गई हैं। पानी की आपूर्ति उचित उपचार के बाद की जाती है और 67 आरओ प्लांट / प्रेशर फिल्टर प्लांट भी कोयला क्षेत्रों में मौजूद हैं जो न केवल हमारे कर्मचारियों को बल्कि पड़ोस की आबादी को भी पूरा करते हैं।

वर्ष 1973 में, राष्ट्रीयकरण के समय 2.27 लाख आबादी के पास पीने योग्य पानी की पहुंच थी, वर्तमान में जलापूर्ति योजना के तहत 20,81,930 लाख की आबादी को कवर किया गया है।

ग. शैक्षिक सुविधाएं

सीआईएल की सहायक कंपनियां कर्मचारियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु खान क्षेत्रों में स्कूल चलाने वालों जैसे कि डीएवी, केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली पब्लिक स्कूल तथा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थानों को वित्तीय सहायता और अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करती रही हैं।

सहायक कंपनियों में शैक्षिक सुविधाओं की स्थिति नीचे दी गई है:

(1)	पूरी तरह से वित्तपोषित प्रोजेक्ट स्कूल	105
(2)	अन्य शैक्षणिक संस्थान (अवसरात्मक सहायता प्राप्त करना)	53
(3)	कंपनी स्कूल (अपने स्वस्वयं के गैर–वित्तीय समर्थन के आधार पर चलते हैं) – केवल अवसं. रचना को देखते हुए	29
	कुल	**187**

घ. कोल इंडिया छात्रवृति योजना:

कतिपय निबंधनों एवं शर्तों के तहत कर्मचारियों के बच्चों के लिए प्रत्येक वर्ष दो प्रकार की छात्रवृति अर्थात् योग्यता एवं सामान्य छात्रवृति प्रदान की जा रही है।

क) मेरिट स्कॉलरशिप में, माध्यमिक / उच्च माध्यमिक या किसी राज्य बोर्ड में पहली से बीसवीं पॉजिशन प्राप्त करने वाले या आईसीएसई, सीबीएसई/आईएससी परीक्षा (कक्षा–दस और बारहवीं) में 95% और उससे अधिक अंक हासिल करने वाले छात्रों को प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है।

ख) निर्धारित प्रतिशत अंकों के अधीन किसी भी विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर तक कक्षा–V से आगे पढ़ने वाले छात्रों को सामान्य छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

वित्तीय सहायता :

देश में तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा की उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए कोल इंडिया लिमिटेड वेतन बोर्ड के कर्मचारियों के आश्रित बच्चों की शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए ट्यूशन फीस और छात्रावास शुल्क की सीमा तक आईआईटीए एनआईटी, सरकारी इंजीनियरिंग और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में इंजीनियरिंग / मेडिकल की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

नकद पुरस्कार और प्रशस्ति प्रमाण पत्र

प्रत्येक वर्ष सीआईएल कर्मचारियों के उन प्रतिभाशाली बच्चों को 5000 रु. और 7000 रु. के नकद पुरस्कार दिए जाते हैं जो 10वीं और 12वीं स्तर की बोर्ड स्तरीय परीक्षा में 90% अथवा

इससे अधिक कुल अंक प्राप्त करते हैं।

प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने में लगभग 3,00,000 /– रुपये खर्च किए जाते हैं।

ड. चिकित्सा सुविधाएं

कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां कोलफील्ड्स के विभिन्न भागों में औषधालयों के स्तर से केंद्रीय एवं शीर्ष अस्पतालों के माध्यम से कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। विशेष उपचार जिनके लिए विशेषज्ञता/सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, के लिए उन्हें बाहर उपचार हेतु सूचीबद्ध अस्पतालों में भी रैफर किया जाता है।

रोगियों को अस्पतालों में ट्रांसपोर्ट करने हेतु कोलफील्ड्स क्षेत्रों में केन्द्रीय स्थानों पर नवीनतम प्रौद्योगिकी और जीवन सहायता प्रणालियों के साथ एम्बूलेंस प्रदान की गई है।

इसके अलावा, कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य, एचआईवी (एड्स) जागरुकता कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया है।

ठेकेदारों द्वारा लगाए गए कामगारों को कंपनी के अस्पतालों और औषधालयों में बाह्यरोगी/अंतरंग रोगी के रुप में चिकित्सा देखभाल की सुविधा को भी बढ़ा दिया गया है।

च. सांविधिक कल्याण सुविधाएं

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों एवं इनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार, कोयला खानों के लिए विभिन्न सांवंधिक कल्याण सुविधाएं जैसे कि कैंटीन, रेस्ट शेल्टर्स आदि चला रही हैं।

छ. गैर–सांविधिक कल्याण उपाय

(i) सहकारी भंडार और ऋण समितियां

कोलियरीज में आवश्यक वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति सस्ती दर पर करने की दृष्टि से सीआईएल के कोलफील्ड क्षेत्रों में केंद्रीय सहकारी और प्रारंभिक सहकारी भंडार कार्यरत हैं। इसके अलावा, कोयला कंपनियों में सहकारी ऋण समितियां भी कार्यरत हैं।

(ii) बैंकिंग सुविधाएं और डाक घर

कोयला कंपनियों के प्रबंधन अपने कामगारों के लाभार्थ कोलफील्ड्स में अपनी शाखाएं और एक्सटेंशन काउंटर खोलने के लिए विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों को अवसंरचना सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। इसी प्रकार, कामगारों के नजदीक डाकघरों को लाने के लिए आवासीय कॉलोनियों के पास सुविधाएं देने के प्रोत्साहन द्वारा प्रयास किए गए हैं।

(iii) होलिडे–होम्स

कोल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लाभ के लिए मामूली लागत पर पर्यटन के आकर्षक स्थानों पर होलिडे–होम्स की सुविधाएं प्रदान करती है। तथापि, चालू वर्ष के दौरान, कोविड महामारी को देखते हुए, होलिडे होम्स पूरी तरह कार्यात्मक नहीं थे। कोल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लाभ के लिए, मामूली कीमत पर पर्यटकों के आकर्षण के स्थानों पर हॉलिडे होम की सुविधा प्रदान करता है। ये सुविधाएं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध हैं।

iv) कामगारों और उनके परिवारों की भलाई और अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए श्रमिकों की आवासीय कॉलोनियों के पास **मनोरंजन संबंधी सुविधाएं और खेल सुविधाएं** हैं। प्रत्येक सहायक कंपनी के पास, अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लाभ के लिए स्टेडियम, मनोरंजन क्लब और इनडोर खेल सुविधाएं हैं।

वार्षिक खेल और खेल इकाई स्तर, क्षेत्रीय स्तर, कंपनी स्तर, अंतर–कंपनी स्तर और इंटर पीएसयू पर भी आयोजित किए जाते हैं। विशिष्ट खेलों और खेलों को बढ़ावा देने के लिए कुछ सहायक कंपनियों ने अकादमियों/खेल परिसरों की स्थापना की है जहां उभरती प्रतिभाओं की पहचान की जाती है और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। खेलगांव को राज्य सरकार के सहयोग से सीसीएल द्वारा स्थापित किया गया है, एनसीएल में एथलेटिक्स अकादमी है।

खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कोल इंडिया में पश्चिम बंगाल सोसायटी के पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत निकाय **कोल इंडिया स्पोर्ट्स प्रमोशन एसोशियेशन (सीआईएसपीए)** के माध्यम से प्रशासित एक

अनुमोदित खेल नीति है और यह एसोशियेशन अपने कोलफील्ड क्षेत्रों में भी स्पॉन्सरशिप/वित्तीय सहायता प्रदान करके खेलों और संस्कृति को स्पोर्ट करता है।

कल्याणकारी सुविधाओं की नियमित रूप से सहायक और शीर्ष स्तर पर कल्याण बोर्ड के माध्यम से समीक्षा की जाती है जो कि ट्रेड यूनियन प्रतिनिधित्व और प्रबंधन प्रतिनिधियों से युक्त द्विदलीय मंच है।

7. कर्मचारी प्रशिक्षण

वर्ष 2020 में 01.01.2021 से 30.11.2021 (30 नवंबर, 21 तक) तक के लिए सीआईएल के कर्मचारियों की प्रशिक्षण सांख्यिकी निम्नानुसार है:

	2019	2020	2021
कार्यपालक	17799	5908	9291
गैर– कार्यपालक	77111	23707	27309
कुल	94910	29615	36600

उन ठेका कामगारों जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	2019	2020	2021
कुल ठेका कामगार	72271	63066	72570
प्रशिक्षित किए गए कुल ठेका कामगार	35309	17252	17495

**महामारी की स्थिति के कारण, अधिकांश प्रशिक्षण ऑनलाइन माध्यम से किया गया था।*

8. प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी

सामान्य तौर पर, कर्मचारियों से संबंधित निर्णय कर्मचारियों और प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले द्विपक्षीय मंचों के माध्यम से लिए जाते हैं। सभी परियोजनाओं में जेसीसी, सुरक्षा समिति, आवास समिति, कल्याण समिति, कैंटीन समिति आदि जैसे द्विपक्षीय मंच कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार, औद्योगिक संबंध प्रणाली के तहत कर्मचारियों की सेवा शर्तों, कल्याण और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए यूनिट स्तर, क्षेत्र स्तर और कॉर्पोरेट स्तर पर आवधिक रूप से द्विपक्षीय बैठकें की जाती हैं। प्रत्येक सहायक कंपनी के पास एक शीर्ष द्विपक्षीय समिति (संयुक्त परामर्शदात्री समिति) है और कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इसके अध्यक्ष होते हैं। संयुक्त परामर्शदात्री समिति सामरिक महत्व के विभिन्न मुद्दों और सामान्यतः कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करती है। इन सभी द्विपक्षीय निकायों का प्रतिनिधित्व कर्मचारी के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।

9. संविदा कामगार

कंपनी निकटवर्ती ग्रामवासियों के लिए रोजगार का स्रोत है। दिनांक 01.12.2020 की स्थिति के अनुसार विभिन्न आउटसोर्स कार्यों के लिए पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से खानों में लगभग 83,815 संविदा कामगारों को नियोजित किया गया है। कंपनी ठेकेदार द्वारा संविदा कामगारों के वेतन और कल्याण से जुड़े सभी विधिक एवं कंपनी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। खनन गतिविधियों में नियोजित संविदा कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है जो उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक है। संविदा कामगारों को खान क्षेत्र में कार्य करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करना होता है।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी संविदा कामगारों को 'संविदा कामगारों को कंपनी की सुविधा' पर निःशुल्क चिकित्सा उपचार सुविधा प्रदान करती है। सभी संविदा कामगारों की चिकित्सा जांच की जाती है, उन्हें सुरक्षा प्रशिक्षण दिया रहा है और निजी बचाव संबंधी उपकरण जैसे कि हेलमेट, माइनिंग शूज, डस्ट मास्क, सेफ्टी लैंप्स और अत्याधिक पानी वाली खानों में गंबूट्स और उचित हुड्स सहित रेनकोट्स दिए जाते हैं। नियमित कर्मचारियों को प्रदान की जा रही कैंटीन, रेस्ट शेलटर्स, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं आदि सुविधाओं का संविदा कामगारों द्वारा भी उपयोग किया जाता है। कंपनी ने सभी संविदा कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (सीएमपीएफ और सीएमपीएस) के तहत सफलतापूर्वक शामिल किया है। संविदा कामगारों को मजदूरी का भुगतान बैंक के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है ताकि इस विषय में किसी प्रकार के शोषण से बचा जा सके।

संविदा श्रमिक (विनियमन एवं संशोधन) अधिनिमय, 1971 के अंतर्गत संविदा कामगारों के मजदूरी भुगतान एवं अन्य लाभों के अनुपालन की निगरानी करने हेतु कोल इंडिया लि. ने हाल ही में 'संविदा श्रमिक भुगतान प्रबंधन पोर्टल' का सृजन किया है। सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों में विभिन्न संविदाकारों द्वारा नियुक्त सभी कामगारों का व्यापक डाटाबेस

''बैंक खाता संख्या एवं आधार संख्या'' सहित तैयार किया है तथा पोर्टल पर अपलोड किया है। यह पोर्टल सभी संविदाकारों के कामगारों के लिए उपलब्ध है ताकि वे अपनी व्यक्तिगत ब्यौरों सहित मजदूरी दर एवं भुगतान की स्थिति को देख सकें।

10. बाल श्रम/बलात मजदूरी/ बंधुआ मजदूर

कंपनी के प्रचालनों में इसकी मूल श्रृंखला में स्वयं कंपनी द्वारा अथवा इसके स्टेक–धारकों द्वारा किसी भी रूप में बाल श्रम, बलात मजदूरों अथवा बंधुआ मजदूरों को नियुक्त करना वर्जित है। खानों में लगाए जाने वाले संविदा कामगारों की अनिवार्य रूप से आरंभिक चिकित्सा जांच के दौरान इसकी मॉनीटरिंग की जाती है।

11. संघ की स्वतंत्रता

कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधन में प्रजातांत्रिक मूल्यों का पक्के तौर पर पालन किया जाता है। कर्मचारियों को छूट है कि वे पंजीकृत ट्रेड यूनियन और अन्य सरकारी/गैर–सरकारी संगठनों के सदस्य बन सकते हैं। कोलफील्डों में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्थानीय यूनियनों की शाखाएं हैं। औद्योगिक संबंध प्रणाली के मानकों के अंतर्गत कंपनी के द्विपक्षीय निकायों में उनके प्रतिनिधित्व की अनुमति है।

12. भेदभाव न करना

कंपनी कर्मचारी प्रबंधन में भेदभाव न करने के सिद्धांतों का अनुसरण करती है। धर्म, जाति, क्षेत्र, मत,लिंग, भाषा आदि के नाम पर कर्मचारियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी कर्मचारियों को सेवा मामलों में समान अवसर दिए जाते हैं।

13. संगठनात्मक संस्कृति निर्माण पहल

संगठन में शामिल होने वाले सभी नए लोगों का प्रोजेक्ट ''आगमन'' के तहत स्वागत किया जाता रहा है। सहायक कंपनियों में तैनाती से पहले, उन्हें भारतीय कोयला प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र संस्थान (आईआईसीएम)–सीआईएल का उत्कृष्टता केंद्र, रांची में अधिष्ठापन कार्यक्रम में शामिल किया जाता है।

सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को फेयरवेल दिया जाता है और उनके सेवानिवृत्ति बकाए का भुगतान प्रोजेक्ट ''सम्मान'' के तहत किया जाता है। अध्यक्ष, सीआईएल और सहायक कंपनियों के अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक संगठन की सफलता के लिए कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए योगदान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

14. निरंतर सुधार और ज्ञान प्रबंधन की पहल

ज्ञान के निरंतर साझाकरण के लिए, सभी सीपीएसई के लिए एक सामान्य ज्ञान पोर्टल ओएनजीसी के तत्वावधान में विकसित किया गया है। यह पोर्टल पीएसयू के लिए एक सामान्य पोर्टल है जिसके तहत वे अपनी विशेष उपलब्धियां, अन्य पीएसयू से सीखने की सर्वोत्तम प्रथाएं और सुविधाएं साझा कर सकते हैं। सीआईएल समय–समय पर 'समन्वय पोर्टल' इंफो बैंक में योगदान भी देती है।

15. जन विकास पहल और सामाजिक सुरक्षा उपाय

1. कोयला उद्योग–XI (इसके बाद जेबीसीसीआई–XI के रूप में संदर्भित) के लिए संयुक्त द्वि–पक्षीय समिति का गठन कोयला मंत्रालय के दिनांक 06.05.2021 के पत्र द्वारा प्राप्त निर्देशों के तहत किया गया है ताकि सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के गैर–कार्यकारी कर्मचारीयों हेतु राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार (एनसीडब्ल्यूए–XI को अंतिम रूप दिया जा सके। जेबीसीसीआई–XI की पहली बैठक 17.07.2021 को सीआईएल मुख्यालय कलकत्ता में आयोजित की गई थी।

2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 24–मार्च–2020 के संदर्भ संख्या 40–3/ 2020– डीएम (ए) और 25–मार्च–2020 के परिशिष्ट द्वारा एक आदेश परिचालित किया जिसमें कोयला और खनिज उत्पादन, परिवहन, विस्फोटकों की आपूर्ति और खनन कार्यों के लिए प्रासंगिक गतिविधियों को औद्योगिक प्रतिष्ठान की छूट वाली श्रेणी में रखा गया है क्योंकि कोयला उद्योग एक आवश्यक सेवा है और कोल इंडिया लिमिटेड एक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा संगठन है।

हालाँकि, सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को कोविड के दौरान ड्यूटी करने के लिए सभी सुविधाएँ प्रदान की गईं।

कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा किए गए कुछ एहतियाती उपायः

1. आइसोलेशन सेंटरों के लिए अस्पतालों/औषधालयों की पहचान
2. स्थिति की निगरानी के लिए कोविड–19 पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने वाले डॉक्टरों सहित डॉक्टरों की टीम का गठन
3. कागज–पत्रों और लोगों की शारीरिक आवाजाही को प्रतिबंधित करना। ई–ऑफिस, ईमेल या संचार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग
4. सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेश और जागरूकता कार्यक्रम
5. कार्यस्थल का सैनिटाइजेशन, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट का प्रयोग
6. सैनिटाइजर, मास्क, हैंड ग्लव्स आदि की व्यवस्था।
7. कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग
8. सामुदायिक केंद्रों /क्लबों, पार्कों, जिमों, मैदानों, धार्मिक स्थल आदि को बंद करना;
9. अस्पतालों में ओपीडी पर प्रतिबंध
10. कर्मचारियों से उनके यात्रा इतिहास के बारे में स्व–घोषणा
11. यात्रा इतिहास के साथ कर्मचारियों, उनके वार्डों, रिश्तेदारों आदि को आइसोलेशन की सलाह देना
12. कोरोना आइसोलेशन वार्ड के मरीजों के लिए दवाओं की खरीद
13. समिति खरीद के माध्यम से कोरोना महामारी से निपटने के लिए वस्तुओं की खरीद करना
14. मास्क की सिलाई
15. वेंटिलेटर की खरीद
16. कोरोना संदिग्ध मरीज को ले जाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था

किसी कर्मचारी/ठेकेदार के कर्मचारी की कोविड–19 से मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को 15 लाख रु. की राशि का भुगतान किया जाता है।

सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा के उपायः

i. **उपदान**– सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी 20 लाख रुपए तक का उपदान प्राप्त करते हैं।

ii. **सीएमपीएफ**– सभी कर्मचारियों को कोयला खान भविष्य निधि के अंतर्गत शामिल किया जाता है जो अंशदायी निधि है जिसमें कर्मचारी और कंपनी द्वारा बराबर–बराबर अंशदान किया जाता है।

iii. **कोयला खान पेंशन स्कीम (सीएमपीएस)** – सभी कर्मचारियों को पेंशन योजना के तहत शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत मूल वेतन की 25% राशि मासिक पेंशन के रूप में मिलती है। कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, उनके आश्रित पेंशन प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

iv. **सेवा निवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सहायता** – सीआईएल ने कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए अपने 2.63 लाख कर्मचारियों के लिए सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना शुरु की है। कुछ शर्तों के अधीन यह योजना गैर–कार्यपालकों तथा कार्यपालकों को साधारण मामलों मे इनडोर तथा आउटडोर इलाज के लिए क्रमशः 8 लाख रुपए और 25 लाख रु. के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करती है और हृदय रोग, कैंसर, गुर्दे की बीमारी तथा मस्तिष्क संबंधी विकार, एचआईवी–एड्स व सांघातिक रक्ताल्पता/ अधिवृक्क हिस्टोप्लास्मोसिस, जैसी गंभीर बिमारियों और गंभीर दुर्घटनाओं तथा मस्तिष्क ज्वर के मामलों में वास्तविकता के आधार पर सहायता दी जाती है। सीआईएल का उद्देश्य अधिप्रमाणन के प्रयोजनार्थ और आधार ब्यौरों से जोड़ते हुए बायोमैट्रिक डाटा के साथ स्मार्ट काड्र्स के माध्यम से कैश–लेस उपचार शुरु करना भी है।

v. **अधिवार्षिता पेंशन योजना** – सीआईएल ने सभी बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वार्षिकी रूप में अधिवार्षिता लाभ देने के लिए एक अधिवार्षिता पेंशन योजना तैयार की है।

इसे 01.01.2007 से कार्यान्वित किया गया है।

vi. **कर्मचारी मुआवजा** – ड्यूटी के दौरान मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके अलावा, कम्पनी घातक खान दुर्घटना अथवा कोविड–19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में 90,000 रुपए उपदान के रुप में और 15 लाख रुपए मुआवजे के रूप में अतिरिक्त राशि प्रदान करती है।

vii. **जीवन बीमा योजना** – सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, कर्मचारी के आश्रित जीवन बीमा योजना के तहत 1,25,000 रु. की राशि प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

viii. **आश्रित सदस्य को रोजगार** – सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने/दिव्यांग होने की स्थिति में उसके आश्रितों में से कोई एक सदस्य कम्पनी में नौकरी पाने का हकदार है।

16. शिकायत प्रबंधन

कम्पनी में स्टेकधारकों अर्थात कर्मचारियों, उपभोक्ताओं तथा अन्यों की शिकायतों के निपटान के लिए एक मजबूत ऑन लाइन स्टेकधारक शिकायत प्रबंधन प्रणाली मौजूद है। इस नीति के अंतर्गत सभी शिकायतों को 10 दिनों के भीतर निपटाया जाता है तथा स्टेकधारकों को तदुनसार सूचित किया जाता है। 31 दिसम्बर, 2021 की स्थिति के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज में कोई शिकायत लंबित नहीं थी।

शिकायत निवारण तंत्र

- शिकायतों की ई–फाइलिंग के लिए सीआईएल द्वारा पूर्व में ऑन–लाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ओएलजीएमएस) शुरू की गई थी। इसके बाद, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में आनॅलाइन शिकायत निपटान और निगरानी प्रणाली को केंद्रीकृत बनाने के भारत सरकार के उद्देश्यों के अनुसरण में, सीआईएल ने केन्द्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) को अपनाया है, जिसे कार्य दोहराव से बचने के लिए ओएलजीएमएस को फेस आउट करते हुए राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था।
- त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक विभाग के नोडल अधिकारियों को मिलाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें मुद्दों और प्रस्तावित समाधानों पर चर्चा की जा सकती है। शिकायतों और उनके रिस्पांस की निगरानी/समीक्षा प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों वाली शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) द्वारा साप्ताहिक आधार पर की जाती है। देरी किए बिना शिकायत के समाधान के लिए कार्रवाई की जाती है और परिणाम पोर्टल में पोस्ट किया जाता है। जहां भी अंतरिम जवाब की जरूरत होती है, वहां शिकायतकर्ता को ऐसा जवाब भेजा भी जाता है।

यदि शिकायतें कोयला कंपनियों से संबंधित हैं, तो नोडल अधिकारी इसे संबंधित सहायक कंपनियों को उनकी टिप्पणियों/कार्रवाई के लिए अग्रेषित करते हैं। यदि यही सीआईएल के किसी अन्य विभाग की कार्यप्रणाली से संबंधित है तो उसे संबंधित विभाग को अग्रेषित कर दिया जाता है। इस प्रकार ऑन लाइन प्राप्त शिकायतों पर सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से इनको देखा जा रहा है और शीघ्रता से इनका निपटान किया जा रहा है।

17. सीआईएल की पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति

सहायक कंपनियों द्वारा अनुपालित आरएंडआर नीतियां/योजनाएं समय के साथ विकसित हुई थीं और सीआईएल की 1994, 2000, 2008 और 2012 की आरएंडआर नीति जैसी बदलती परिस्थितियों के प्रत्युत्तर में कई परिवर्तन किए गए थे।

अधिकांश मामलों में, सहायक कंपनी सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957 के तहत भूमि (सभी अधिकार) ले रही हैं और (एमसीएल को छोड़कर) भू–स्वामियों या उनके नामातियों को प्रत्येक दो एकड़ भूमि के लिए पैकेज डील अवधारणा या अवरोही क्रम में एक रोजगार प्रदान कर रही हैं। एमसीएल ओडिशा सरकार की आरएंडआर पॉलिसी 2006 का अनुपालन करती है और इसी नीति के तहत रोजगार अधिशासित होता है।

सीआईएल आरएंडआर नीति में लचीलेपन की शर्तें भी हैं जहां सहायक कंपनी बोर्ड को संबंधित सहायक कंपनी में प्रचलित

विशिष्ट शर्तों के संदर्भ में उक्त नीति में आवश्यक संशोधन को अनुमोदन देने के लिए अधिकृत किया गया है।

अधिकांश मामलों में, सहायक कंपनियां खनन और संबद्ध गतिविधियों के लिए सीबीए (एएंडडी) अधिनियम 1957 के तहत भूमि का अधिग्रहण कर रही हैं जो पूरी तरह खनन से संबंधित हैं।

केंद्र सरकार द्वारा 28.08.2015 को आरएफसीटीएलएआरआर (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश 2015 के मुद्दे के संदर्भ में, सीबीए (एएंडी) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजा, आर और आर लाभ और बुनियादी सुविधाएं आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की अनुसूची I, II एवं III के अनुसार उपलब्ध कराई जानी हैं।

इसके बाद, कोयला मंत्रालय ने सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि के लिए इस आदेश के कार्यान्वयन के बारे में अलग–अलग स्पष्टीकरण जारी किए हैं।

तदनुसार, सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि के लिए आरएंडआर लाभ आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार या पीएएफ द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार प्रदान किए जा रहे हैं और मौजूदा पद्धति के अनुसार रोजगार प्रदान कराया जा रहा है अर्थात प्रत्येक दो एकड़ जमीन के लिए एक रोजगार।

इसके अलावा, सीआईएल बोर्ड ने 25.08.2020 को आयोजित अपनी 409 वीं बैठक में सीआईएल, 2020 की वार्षिकी योजना को अनुमोदन दिया ताकि छोटे भू–स्वामियों के साथ–साथ प्रभावित परिवार की आवश्यकता में सुधार किया जा सके जो राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा यथाप्रमाणित एक गैर–हकधारी धारक हो सकता है, जिनकी आजीविका का मूल स्रोत वह भूमि थी जिसे अधिग्रहण की तारीख से तीन साल से अधिक समय पहले ही अधिग्रहित कर लिया गया था और भूमि अधिग्रहण से जिनका आय का नियमित स्रोत प्रभावित हुआ।

18. पर्यावरण की चिंता

कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने देश की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए न केवल पिछले कुछ वर्षों से अपने उत्पादन स्तर में वृद्धि की है बल्कि पूर्णतः खनित क्षेत्रों के उद्धार और कोयला धारक क्षेत्रों में और उसके आसपास व्यापक वृक्षारोपण सहित विभिन्न शमन उपायों को अपनाकर स्थानीय पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदनशीलता और चिंता भी दिखाई है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

सीआईएल अपने व्यापार परिचालन को शुरू करते समय समावेशी विकास के सिद्धांत के प्रति वचनबद्ध है। यह पर्याप्त शमन पद्धतियों के साथ कोयले का खनन करते समय पर्यावरण की चिंता के लिए भी प्रतिबद्ध है। ऐसा करने के अपने प्रयास में, यह इस बात से परिचित है कि कोयला खनन और संबद्ध गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए एक सक्रिय निवारक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्यावरण पर खनन के प्रतिकूल फुटप्रिंट्स कम से कम हों, निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:

- **एकीकृत परियोजना नियोजनः** नई कोयला खनन परियोजनाओं में, पर्यावरणीय चिंताओं को शामिल करने की योजना बनाना प्रमुख चिंताएं हैं। खनन लेआउट डिजाइन करते समय, संचालन के लिए संभव न्यूनतम सीमा तक भूमि (वन भूमि सहित) आवश्यकता को कम करने के लिए सावधानी बरती जा रही है। योजना बनाने में मृदा उत्खनन, संरक्षण और उद्धारित क्षेत्रों पर इसके पुनः उपयोग से संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। कम उत्सर्जनों के साथ बेहतर उत्पादकता प्राप्त करने के लिए सतही खनिकों और सतत खनिकों जैसी नवीनतम खनन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए इन–पिट क्रशिंग और बेल्ट कन्वेयर प्रणाली के साथ ओपनकास्ट खानों की योजना बनाई जाती है ताकि वायु गुणवत्ता के स्तरों में सुधार किया जा सके। उत्पादन पश्चात भूमि का श्रेष्ठ उपयोग प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुए उचित सम्मान के साथ परियोजनाओं के संबंध में योजना बनाई जाती है ताकि यह स्थानीय आबादी के लिए एक परिसंपत्ति बन जाए।

- **सांविधिक मंजूरियां और उनका अनुपालनः** अपेक्षित सभी सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद ही परियोजनाओं का परिचालन किया जा रहा है। विभिन्न मंजूरियों में दर्शाई गई सभी सांविधिक शर्तों का

अनुपालन पूरी कर्मठता के साथ किया जा रहा है और सांविधिक एजेंसियों को समय–समय पर सूचित किया जा रहा है।

- **प्रदूषण नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन:** सीआईएल अपनी परियोजनाओं की पर्यावरण प्रबंधन योजना में एमओईएफएंडसीसी द्वारा अनुमोदित विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपायों को कार्यान्वित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदूषक पूरी तरह निर्धारित मानकों के भीतर रहें। वायु, जल, ध्वनि, मृदा प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विवरण सतत पहलों के तहत रिपोर्ट में अन्यत्र परिलक्षित होते हैं।

- **खान बंद करने के दिशा–निर्देशों का कार्यान्वयन:** वर्ष 2009 में कोयला मंत्रालय द्वारा खान बंद करने के दिशा–निर्देश जारी करने और इसके बाद के संशोधनों के साथ, सभी परियोजनाओं के लिए खान बंद करने की योजना (एमसीपी) तैयार, अनुमोदित और कार्यान्वित की गई है। एमसीपी में खान बंद करने के तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक और वित्तीय मुद्दे शामिल हैं जो खान बंद करने की क्रमिक तथा अंतिम गतिविधियों को पूरा करने के दौरान भूमि उद्धार पर जोर देते हैं। एमसीपी का कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करता है कि विशेष ध्यान देकर खान के जीवनकाल के दौरान सभी निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित की जाए ताकि निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जा सके:
  - सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से समझौता न किया जाए
  - पर्यावरणीय संसाधन न्यूनतम भौतिक और रासायनिक गिरावट के अधीन हो
  - स्थल का खनन के बाद का उपयोग लंबी अवधि में फायदेमंद और टिकाऊ हो
  - सामाजिक–आर्थिक लाभों को अधिकतम करने का अवसर दिया जाए।

- **हरित पहलें:** 'स्वच्छ और हरित' कार्यक्रम के एक भाग के रूप में जहां भी भूमि उपलब्ध है, वहां सीआईएल द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण भी शुरू किया गया है। चालू वित्त वर्ष (दिसंबर, 2021 तक), सीआईएल की सहायक कंपनियों ने लगभग 1212 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 28.52 लाख पौधे लगाए हैं। इसके अतिरिक्त, सीआईएल ने बैंबू वृक्षारोपण के तहत 36.91 हैक्टेयर भूमि और ग्रासिंग के तहत 159 हैक्टेयर भूमि को कवर किया है। खनन गतिविधियों के कारण धूल पैदा होने को नियंत्रित करने के लिए, सीएमपीडीआईएल द्वारा विंड ब्रेक और वर्टिकल ग्रीनरी सिस्टम की अवधारणा विकसित की गई है और गेवरा ओसीपी में इसे लागू किया जा रहा है।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

एससीसीएल वर्तमान में तेलंगाना राज्य के छह जिलों में फैली 19 ओपनकास्ट खानों और 25 भूमिगत खानों का परिचालन कर रही है। एससीसीएल पर्यावरण के प्रति जागरूक है और कोयला खानों में पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन में सक्रिय है।

कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में, एससीसीएल ने पर्यावरण नीति तैयार की है। पर्यावरण नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, योजना, निष्पादन और निगरानी प्रणालियों में एकरूपता लाने के लिए पर्यावरण प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में दिशा–निर्देश तैयार किए गए हैं जिससे पर्यावरण की दृष्टि से सतत कोयला खनन कार्य सुनिश्चित हो सके। पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी खानों, विभागों और अन्य इकाइयों को पर्यावरण नीति, उद्देश्य और दिशा–निर्देश परिचालित किए गए थे।

पर्यावरण संरक्षण के लिए एससीसीएल विभिन्न पर्यावरण अधिनियमों, नियमों का अनुपालन कर रहा है और पर्यावरणीय मानदंडों/शर्तों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रत्येक परियोजना पर पर्यावरण प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं। पर्यावरण संरक्षण और अनुपालन के अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण मंजूरियों में निर्धारित शर्तें, परिचालन के लिए सहमति और अन्य सांविधिक मंजूरियों संबंधी रिपोर्टें समय–समय पर नियामक एजेंसियों को प्रस्तुत की जा रही हैं। सीपीसीबी से मान्यता प्राप्त एनएबीएल द्वारा अधिकृत प्रयोगशाला के माध्यम से कोयला खनन परियोजनाओं के आस–पास

पर्यावरणीय निगरानी की जा रही है और प्रदूषण की रोकथाम संबंधी आवश्यक उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

एससीसीएल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है:

- वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, एससीसीएल ने खानों में जल छिड़काव की पर्याप्त व्यवस्था और कोल हैंडलिंग संयंत्रों में मिस्ट स्प्रे की व्यवस्था की है।
- खान के अतिरिक्त जल को आस–पास के पानी की टंकियों में डिस्चार्ज किया जा रहा है और टैंकों की गाद निकालने का काम भी शुरू किया जाता है ताकि जल भंडारण क्षमता में वृद्धि की जा सके जिससे आस–पास के ग्रामीणों द्वारा वर्ष में दो फसलों को उगाने में मदद मिलती है और भूजल स्तर को बढ़ाने में सहायता मिलती है।
- ओपनकास्ट खानों में नॉन–इलेक्ट्रिक डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल ब्लास्टिंग तकनीक अपनाई जा रही है ताकि शोर और ब्लास्ट कंपन को नियंत्रित किया जा सके ।
- धूल दबाने और वृक्षारोपण जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए इसे डिस्चार्ज करने से पहले खान और कॉलोनी बहिस्रावों को उपचारित किया जाता है।
- ओवरबर्डन डंप के उद्धार के लिए एससीसीएल जैविक इंजीनियरिंग तकनीकों को कार्यान्वित कर रही है। इन तकनीकों का उद्देश्य अपशिष्ट और अवक्रमित भूमि को संधारित पारिस्थितिकीय भू–आकृति में बदलना है जो मृदा अपरदन, जल निकायों की गाद, जल प्रदूषण, धूल प्रदूषण को भी रोकेगी और पर्यावरण के सौंदर्य को फिर से बढ़ाएगी।
- एससीसीएल अपनी स्वयं की नर्सरियों में बड़े पैमाने पर स्थानीय पौधों की प्रजातियों को उगा रही है ताकि वह वार्षिक आधार पर अपने सभी खनन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधरोपण कार्यक्रम शुरू कर सके।
- एससीसीएल, क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सीएसआर और डीएमएफटी के तहत धन आवंटित कर कोयला खनन क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक–आर्थिक उपाय कर रही है।
- खान बंद करने की गतिविधियां कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित खान योजना और खान बंद करने की योजना के अनुसार शुरू की जा रही हैं।
- ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के दोहन के लिए अपने प्रयासों के एक हिस्से के रूप में एससीसीएल चरणबद्ध तरीके से सभी खनन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना कर रही है।
- आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कचरा निस्तारण की व्यवस्था, पार्कों और बगीचों का विकास, कॉलोनी और उसके आसपास ग्रीनबेल्ट, रूफ–टॉप सोलर पैनल आदि उपलब्ध कराकर एससीसीएल इको–फ्रेंडली कॉलोनियां भी विकसित कर रही है।
- चालू वित्त वर्ष (दिसंबर, 2021) में, एससीसीएल ने लगभग 580 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए लगभग 44.14 लाख पौधे लगाए हैं।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल)

एनएलसीआईएल पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों पर खनन गतिविधियों के प्रभाव से लगातार निपट रही है। एनएलसीआईएल पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न पर्यावरण अधिनियमों, नियमों का अनुपालन कर रही है। पर्यावरणीय मानदंडों/शर्तों के कार्यान्वयन और निगरानी पर विशेष जोर दिया गया है।

एनएलसीआईएल अपनी परियोजनाओं की पर्यावरण प्रबंधन योजना में एमओईएफएंडसीसी द्वारा अनुमोदित विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपायों को कार्यान्वित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदूषक पूरी तरह निर्धारित मानकों के भीतर रहें। वायु, जल, ध्वनि, भूमि और मृदा पर खनन के प्रतिकूल प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए रोक–थाम संबंधी विभिन्न उपाय किए जाते हैं।

सभी तीनों खनन क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल खनन प्रणालियां कार्यान्वित की गई हैं। एनएलसीआईएल इस अवधि के दौरान सभी ओपनकास्ट खान परियोजनाओं के लिए भूमि उद्धार और

बहाली की निगरानी के लिए उपग्रह निगरानी का उपयोग कर रही है।

'स्वच्छ और हरित' कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एनएलसीआईएल द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण भी किया जाता है। स्थापना के बाद से, एनएलसीआईएल ने खान के पुनरूद्धारित क्षेत्र में 2197 हेक्टेयर भूमि के क्षेत्र में 27.06 लाख पेड़ लगाए हैं। वित्त वर्ष 2021–22 (31.12.2021 तक) में, एनएलसीआईएल की खानों ने 65 हेक्टेयर में 1.25 लाख पेड़ लगाए हैं, जिसमें 15 हेक्टेयर की हाई–टेक खेती शामिल है और मार्च, 2022 तक 164 हेक्टेयर ग्रीन कवर को कवर करने की योजना है।

वृक्षरोपण अभियान 2021:

माननीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी द्वारा शुरू किए गए विशाल वृक्षारोपण अभियान के भाग के रूप में , एनएलसीआईएल ने अपनी सभी इकाइयों, कर्मचारी कॉलोनियों, आसपास के गांवों में 2,41,200 पौधे लगाए हैं। इनमें से 1,08,400 पौधे नेयवेली में ही लगाए गए हैं।

यह अभियान राजस्थान के बरसिंगर, ओडिशा के तालाबीरा, उत्तर प्रदेश के घाटमपुर , तमिलनाडु के थूथुकुडी, अरुपुकोट्टई और तिरुनेलवेली में कंपनी के अन्य परियोजना स्थलों में भी चलाया गया। साथ ही इस विशेष अवसर पर, माननीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री. प्रल्हाद जोशी ने नेयवेली में एक इको–टूरिज्म पार्क का उद्घाटन किया । 10 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस पार्क में बच्चों के खेलने की जगह, बर्ड वाचिंग पॉइंट, बोटिंग, औषधीय पौधों का बगीचा, मिस्ट चैंबर, नर्सरी और घोषाला आदि हैं।

19. एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल)

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) 14 नवम्बर, 1956 को एक कंपनी के रूप में पंजीकृत हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 20 मई, 1957 को खान–I में खनन प्रचालनों का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। एनएलसी इंडिया लिमिटेड को अप्रैल 2011 से **'नवरत्न'** का दर्जा दिया गया है।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड की वर्तमान खनन क्षमता 30.6 एमटीपीए है तथा नवंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता 6061.06 मे.वा. है। एनएलसी इंडिया लि. की सभी खानों एवं विद्युत स्टेशनों को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस), पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएसएचएएस) के लिए आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त है।

20. प्राधिकृत पूंजी

(i) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल): 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार सीआईएल के लिए प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 8000.00 करोड़ रुपये है और प्राधिकृत वरीयता शेयर पूंजी 904.18 करोड़ रुपये है।

(ii) एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल): एनएलसी की प्राधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रुपए है तथा प्रदत पूंजी 1386.64 करोड़ रु.(बाई बैक–2018 के बाद) है। 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा किया गया निवेश निम्नानुसार है:

निवेश	(करोड़ रु. में)
इक्विटी – भारत सरकार का हिस्सा%	1098.22 (दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार)
भारत सरकार से ऋण (उपार्जित ब्याज सहित)	शून्य

(iii) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल): सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) क्रमशः 51:49 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ तेलंगाना सरकार और भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है।

21. उत्पादन कार्य–निष्पादन (एनएलसी इंडिया लिमिटेड):

वर्ष 2021–22 के दौरान ओवरबर्डन रिमूवल, लिग्नाइट उत्पादन, सकल विद्युत उत्पादन और विद्युत निर्यात के आंकड़े नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:

उत्पाद	इकाई	ब.अ. 2021–22	2020–21 (जनवरी 21 से मार्च,21)	2021–22 (दिसंबर, 21 तक)		जनवरी 2022 से मार्च 2022 (अनुमान)
			वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	
ओवरबर्डन	एमएम^3	159.71	42.61	115.98	112.77	43.73
लिग्नाइट	मि.ट.	24.65	6.75	14.85	16.59	9.80
कोयला	मि.ट.	3.50	0.57	2.1	4.03	1.40
सकल विद्युत (एनएलसीआईएल)	एमयू	24,305.39	5,579.26	17,864.67	18,485.05	6,440.72
विद्युत निर्यात (एनएलसीआईएल)	एमयू	19,981.24	4,873.10	14,690.74	16,245.11	5,290.50
सकल विद्युत (एनटीपीएल)	एमयू	7,540.00	1,428.77	5,567.00	3,255.43	1,973.00
विद्युत निर्यात (एनटीपीएल)	एमयू	7,104.00	1,327.31	5,246.00	3,002.84	1,858.00

वर्ष 2021–22 के लिए कार्य–निष्पादन

	BE 2021-22	Target Apr 21 - Dec 21	Actual Apr 21 - Dec 21
OB (MM3)	159.71	115.9	112.77
Lignite (MT)	24.65	16.76	16.59
Coal (MT)	3.50	2.40	4.08

वर्ष 2021–22 के लिए कार्य–निष्पादन (एनएलसीआईएल)

	BE 2021-22	Target Apr 21 - Dec 21	Actual Apr 21 - Nov 21
Gross (MU)	24305.39	17864.67	18485.05
Export (MU)	19981.24	14690.74	16245.11

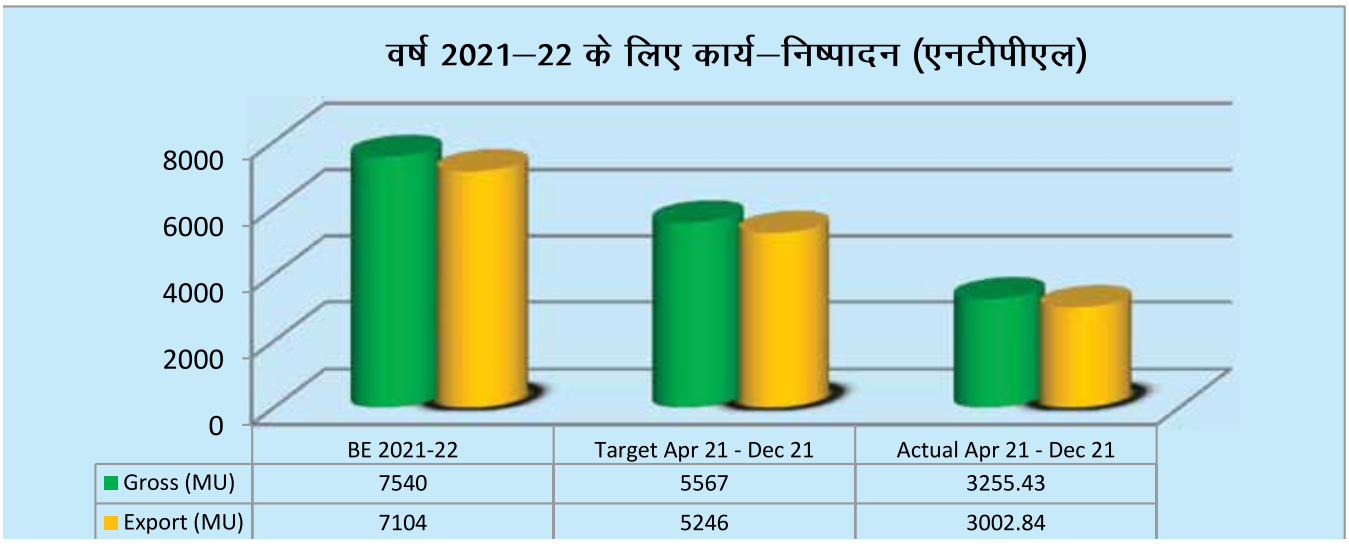

यदि छोड़ दी गई 613.92 (अनंतिम) एमयू विद्युत को जोड़ा जाता है, तो एनएलसीआईएल के संबंध में अप्रैल, 2021 से दिसंबर, 2021 तक की अवधि के लिए सकल विद्युत उत्पादन 19098.97 एमयू होगा।

यदि छोड़ दी गई 1444.23 (अनंतिम) एमयू विद्युत को जोड़ा जाता है, तो एनटीपीएल के संबंध में अप्रैल, 2021 से दिसंबर, 2021 तक की अवधि के लिए सकल विद्युत उत्पादन 4699.66 एमयू होगा।

22. उत्पादकता:

2020–21 और 2021–22 में उत्पादकता निष्पादन निम्न तालिका में दिया गया है:

आउटपुट प्रति मैन शिफ्ट (ओएमएस)

ओएमएस	यूनिट	2020–21 वास्तविक	2021–22 (दिसंबर, 21 तक)	
			लक्ष्य	वास्तविक
खानें	टन	14.07	14.90	15.93
तापीय	कि.वा./घंटा	25054	38725	38839

23. संयंत्र लोड फैक्टर (पीएलएफ)

2020–21 तथा 2021–22 के दौरान एनएलसीआईएल संयंत्रों का पीएलएफ:–

पीएलएफ	2020–21 वास्तविक	2021–22 (दिसंबर, 21 तक)	
		लक्ष्य	अनंतिम
टी.पी.एस–I	57.32	--	--
टी.पी.एस–I ई	75.71	81.02	86.37
टीपीएस– I I	54.01	81.05	74.57
टीपीएस– I I ई	47.85		50.33
बरसिंगसर टीपीएस	66.26	66.00	72.32
एनएनटीपीपी	67.31	77.73	66.40
एनटीपीएल	60.39	84.35	49.32

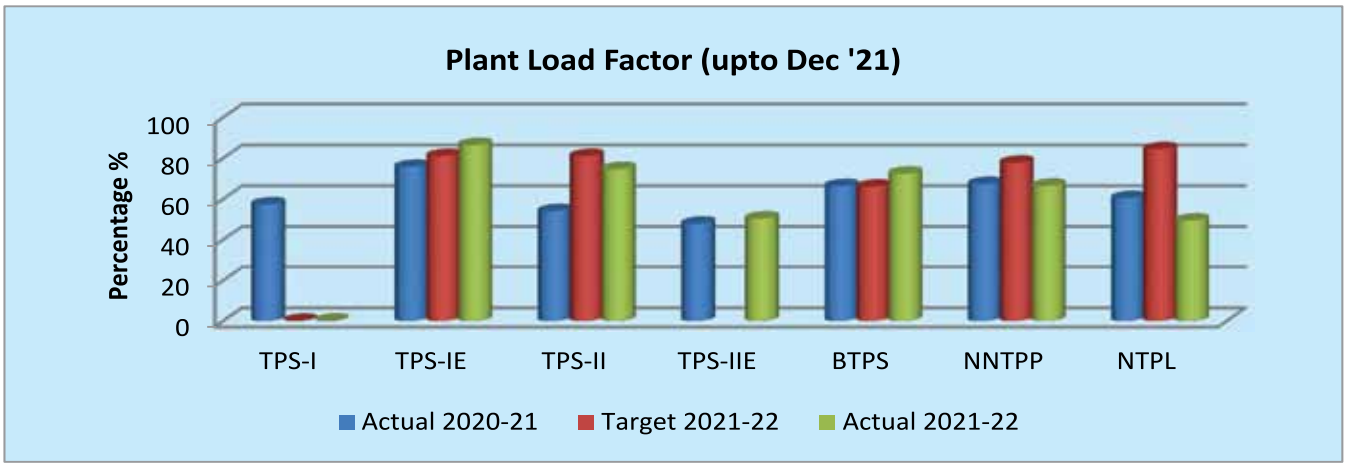

वर्ष 2021–22 (अप्रैल, 2021 से नवंबर, 2021 तक) के दौरान उत्पाद–वार बिक्री निम्नानुसार है:

उत्पाद	बिक्री 2020–21 (रु. करोड़ में)	बिक्री 2021–22 (रु. करोड) मेंट नवंबर, 2021 तक (अनंतिम)
लिग्नाइट	351.58	454.39
कोयला	--	415.98
विद्युत	6,826.06	5,321.75
अन्य	72.19	50.59
कुल	**7,249.63**	**6,242.71**

जनशक्ति:

31 दिसम्बर, 2021 की स्थिति के अनुसार एनएलसीआईएल की कुल जनशक्ति निम्नानुसार है:

	तकनीकी	गैर–तकनीकी	अन्य	कुल
कार्यपालक	2933	479	192	**3604**
पर्यवेक्षक (एनयूएस)	356	9	26	**391**
गैर–कार्यपालक	2106	778	4575	**7459**
कुल	**5395**	**1266**	**4793**	**11454**

24. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

सिंगरेनी कोलिरीज कंपनी लि. तेलंगाना सरकार और भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें इक्विटी पूंजी भागीदारी क्रमशः 51:49 के अनुपात में है। अखिल भारत कुल उत्पादन में एससीसीएल का योगदान लगभग 9 प्रतिशत है।

25. कोयला उत्पादन :

वर्ष–2021–22 के लिए कोयला उप्तादन लक्ष्य 68 मि.ट. है और नवम्बर, 2021 तक वास्तविक कोयला उत्पादन 40.86 मि.ट. है।

लक्ष्य (जनवरी–नवंबर, 2021)	वास्तविक (जनवरी–नवंबर, 2021)	% उपलब्धि
63.12	58.29	92.34

26. कोयला प्रेषण:

कंपनी–वार कोयला प्रेषण (मिलियन टन)								
कंपनी	2019–20 वास्तविक (ऑफ–टेक)	2020–21				2021–22 नवंबर, 2021 तक (अनंतिम)		
		वार्षिक लक्ष्य	वास्तविक (ऑफ टेक)	उपलब्धि (%)	वृद्धि (%)	वार्षिक लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धि (%)
सीआईएल	581.640	660.000	573.628	86.94%	-1.38%	740.000	421.230	56.91%
एससीसीएल	62.465	67.500	48.513	71.87%	-22.34%	68.000	42.475	62.46%
कैप्टिव*	56.257	85.830	62.624	72.96%	11.32%	99.000	52.592	53.12%
अन्य	6.814	15.430	6.119	39.66%	-10.20%	11.000	3.123	28.39%
कुल	**707.176**	**828.76**	**690.884**	**83.39%**	**-2.31%**	**918.000**	**519.420**	**56.57%**

नोटः 1. वार्षिक लक्ष्य कोयला मंत्रालय की वार्षिक योजना के अनुसार हैं
2.(i) एसईसीएल के गारे पाल्मा–IV/1 और गारे पाल्मा–IV/2 और 3 के ऑफ–टेक को सीआईएल में जोड़ा जाता है और कैप्टिव उत्पादन में शामिल नहीं किया जाता है।*

उत्पादकता (ओएमएस) : वर्ष 2021–22 के लिए उत्पादकता लक्ष्य (समग्र खान) 5.89 टन है और नवम्बर, 2021 तक उपलब्धि 5.72 टन है।

वर्ष	सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड		
	यूजी	ओसी	समग्र
2020–22 का लक्ष्य	1.63	17.78	6.89
2021–22 वास्तविक (नवंबर, 2021 तक)	1.11	14.41	5.72

जनशक्ति : 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार एससीसीएल में 1,362 महिला कर्मचारियों सहित 43,063 कर्मचारी हैं।

सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांटः वर्तमान में, 2X600 मे.वा. सिंगरैनी थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना के मंचेरियल जिले में प्रचालनरत है। वर्ष 2021–22 (दिसम्बर तक) के दौरान 87.14 पीएलएफ के साथ कुल 6,876 एमयू विद्युत का उत्पादन किया गया।

सौर विद्युत संयंत्रः एससीसीएल ने तेलंगाना में एससीसीएल कमान क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 300 मे.वा. क्षमता के सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। वर्ष 2021–22 (दिसम्बर तक) के दौरान 163 एमयू विद्युत का उत्पादन किया गया है।

एससीसीएल करिमनगर तेलंगाना जिले के मानेर डैम में 170

मे.वा. **फ्लोटिंग** सौर विद्युत संयंत्रों की योजना बना रही है और इसे 2 वर्षों में शुरू किया जाएगा।

एससीसीएल में रोजगार के अवसरः एससीसीएल द्वारा बाह्य और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से रिक्तियों को भरने हेतु व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं और इसे 2 वर्षों में शुरू किया जाएगा। तेलंगाना का गठन (जून, 2014) हो जाने के बाद, दिसम्बर, 2022 तक **16,292** से भी अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया।

पौधारोपणः एक अग्रणी कार्यक्रम ''तेलंगाना कु हरिथा हरम'' के भाग के रुप में एससीसीएल ने 2021–22 (दिसम्बर, तक) के दौरान 580 हेक्टेयर में 44.14 लाख पौधे लगाए हैं और 10 लाख पौधों का वितरण आस–पास के लोगों में किया गया है।

27. कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायः

कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को उचित महत्व दिया जाता है और विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलापों नामतः प्रचलन में आवास एवं स्वच्छता, शिक्षा, मनोविनोद, सुपर स्पेशलिटी सेवाओं सहित चिकित्सा सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा स्कीमों को जारी रखा जा रहा है।

आवास :

समग्र आवास संतुष्टि 100% है।

शिक्षा :

कंपनी कर्मचारियों के बच्चों और साथ ही अन्य नजदीकी निवासियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 9 हाई स्कूल, 1 महिला पीजी एवं डिग्री कॉलेज और 1 पोलीटेक्नीक कॉलेज चला रही है। इसके अतिरिक्त निःशक्त छात्रों के लिए 3 स्कूलों को वित्तीय सहायता दी गई है।

पेयजलः

कर्मचारियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए कार्यालयों, खानों, अस्पतालों, गेस्टहाऊसों, प्रशिक्षण केन्द्रों आदि में आरओ प्यूरीफीकेशन संयंत्रों को स्थापित किया गया है।

योगा और मनोविनोदः

पूरे वर्ष योगा और मेडिटेशन कैंपों का व्यापक रूप से आयोजन किया जा रहा है। कर्मचारियों को खेल सुविधाएं एवं अपेक्षित अवसंरचना प्रदान की गई है और खेलों में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया है।

सेवानिवृत्त कामगार और उनके विवाहिती के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा स्कीमें:

सामाजिक सुरक्षा स्कीमें अर्थात् जनता कार्मिक दुर्घटना बीमा योजना (जेपीएआईएस), परिवार लाभ बीमा योजना (एफबीआईएस), समूह बीमा योजना, कोयला खान पेंशन योजना (सीएमपीएस) और अंशदायी सेवानिवत्ति बाद मेडिकेयर योजना कार्यान्वित की जा रही है।

अनुकम्पा के आधार पर रोजगारः

उन कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार दिया गया जिनकी मृत्यु नौकरी के दौरान हो गई है या जो चिकित्सकीय रूप से अशक्त होते हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

एससीसीएल के पास कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 820 बेड वाले 7 क्षेत्रीय अस्पताल और 21 औषधालय हैं।

सहकारी समिति और बिक्री डिपोः

खानों और विभागों में कार्यरत एससीसीएल के कामगारों को बचत की संस्कृति को समावित करने और ऋण प्राप्त करने के लिए पैसे उधार देने वालों के पास जाने वाले कर्मचारियों से बचने के दृष्टिकोण से 'कर्मचारी सहकारी ऋण सोसायटी' का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित करना। कोलफील्ड क्षेत्रों में सुपर बाजार (गैस गोदामों सहित) कुल 42 बिक्री डिपो–कार्यात्मक हैं।

अन्यः

निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:

- कर्मचारियों के बच्चों को मेधावी छात्रवृत्ति।
- आईआईटी/आईआईएम में प्रवेश पाने पर एनसीडब्ल्यूए के कर्मचारियों के बच्चों के लिए ट्यूशन–फी की प्रतिपूर्ति।

- निवल लाभ में से विशेष प्रोत्साहन राशि का भुगतान।
- निष्पादन संबद्ध पुरस्कार स्कीम का भुगतान।
- त्यौहार पेशगी का भुगतान।
- एनसीडब्ल्यूए की महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश और बाल देखभाल अवकाश प्रदान करना।
- आवास निर्माण ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति स्कीम।
- कर्मचारियों को उनके घरों में एसी कनेक्शन की सुविधा दी जा रही है।

28. पूर्वोत्तर क्षेत्र कोलफील्ड्स में विकास कार्यकलाप

पूर्वोत्तर क्षेत्र में, कोल इंडिया लिमिटेड के खनन कार्यकलाप मुख्य रुप से असम के माकूम कोल फील्ड्स में हैं। इस समय, 3 मौजूदा खानें अर्थात् तीरप, तिकाक तथा तिपोंग है। इनमें से, तीरप और तिकाक कोलियरी ओपनकास्ट खानें/परियोजना हैं जबकि तिपोंग कोलियरीज भूमिगत खान है।

सांविधिक एजेंसियों द्वारा दिनांक 24.10.2019 से तिकाक कोलियरी में खनन कार्यकलाप बंद हो गया है और एनईसी द्वारा दिनांक 03.06.2020 से तीरप कोलियरी में खनन कार्यकलाप अस्थाई रूप से स्थगित हो गया है क्योंकि वन मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी जैसी सांविधिक मंजूरियां और परियोजनाओं के लिए संचालन करने की सहमति तथा बाह्य ओबी डंप के लिए अपेक्षित सरकारी भूमि का अंतरण किया जा रहा है। इस समय तीरप कोलियरी क्षेत्र में, राज्य एजेंसियां द्वारा राजस्व भूमि की तुलना में वन सीमा का सर्वेक्षण किया जा रहा है और इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। तिपोंग यूजी खान में भी कोई खनन कार्यकलाप नहीं हुआ है, तथापि, नियमित रूप से वॉटर–पंपिंग की जा रही है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सभी सांविधिक मंजूरियां प्राप्त होने के बाद दो नई परियोजनाओं को शुरू कर दिया जाएगा। ये दो परियोजनाएं क्रमशः 0.2 एमटीवाई और 0.25 एमटीवाई की रेटिड क्षमता के साथ तिकाक विस्तार ओसीपी और लेखापानी ओसीपी है। इन खानों के लिए चरण–। हेतु एफसी और ईसी पहले ही प्राप्त हो गई है। एनईसी ने पहले ही इन दो परियोजनाओं के चरण–। एफसी का अनुपालन प्रस्तुत कर दिया है।

पिछले 4 (चार) वर्षों का कोयला उत्पादन निम्नलिखित तालिका–। में दर्शाया गया है:

तालिका -। (आंकड़े लाख टन में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020–21 एएपी के अनुसार लक्ष्य
एनईसी का कोयला उत्पादन	6.00	7.81	7.84	5.17	6.00

वर्ष 2020–21 में, पैराग्राफ में यथा–उल्लिखित तिकाक कोलियरी और तीरप कोलियरी में खनन गतिविधियों के अस्थाई निलंबन के बाद से कोयला उत्पादन नहीं हुआ है। अप्रैल, 2020 से 2 जून, 2020 तक तीरप कोलियरी से केवल 0.36 लाख टन का उत्पादन हुआ है।

29. एनईसी का कार्य निष्पादन (01.01.2020 से 31.12.2020 तक)

तालिका -II

(आंकड़े टन में) (वास्तविक आंकड़े)

	कोयला उत्पादन		यूनिट	मात्रा
1	I)	भूमिगत	लाख टन	0
	II)	ओपनकास्ट	लाख टन	3.42
	कुल		लाख टन	**3.42**
2	**ओएमएस**			
	I)	भूमिगत	टन	0
	II)	ओपनकास्ट	टन	3.15
	समग्र			**1.97**

3	**कोयला प्रेषण/उठान**			
	I)	प्रेषण	लाख टन	3.57
	II)	घरेलू खपत		
	III)	उठान	लाख टन	3.57
4	**30.09.2020 की स्थिति के अनुसार पिट–हेड कोयला भंडार (नामचिक, अरूणाचल प्रदेश के लिए)**		लाख टन	**0.17**
	31.12.2020 की स्थिति के अनुसार पिट–हेड कोयला भंडार (नामचिक को छोड़कर)		लाख टन	0,00
5	**खानों की संख्या**		कार्यरत	0

30. पिछले 5 वर्षों के लिए एनईसी का कार्य–निष्पादन

कोलियरी	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कोयला उत्पादन (आंकड़े टन में)					
तिपोंग (यूजी)	3043	3033	3000	0	0
तीरप (ओसी)	178954	197215	468461	529767	450046
तिकाक (ओसी)	212355	330035	286182	252252	66794
लिडो (ओसीपी)	92180	70005	23688	1968	0
कुल	**486532**	**600288**	**781331**	**783987**	**516840**
मापन के अनुसार ओबी रिमुवल (आंकड़े घन मीटर में)					
तीरप (ओसी)	3153076	1867719.90	5126499.90	5723607.64	4146301.09
तिकाक (ओसी)	3253707	3622690.86	2668553.75	2765922.50	584128.00
लिडो (ओसीपी)	897557	185399.69	58092.80	14729.27	0
कुल:–	**7304340.59**	**5675810.45 | 7853146.45**		**8504259.41**	**4730429.09**
कोयला प्रेषण (आंकड़े टन में)					
तिपोंग (यूजी)	-	-	-	-	0
तीरप (ओसी)	212158.63	265067.22	538687.91	500489.13	483399.04
तिकाक (ओसी)	111814.57	430592.61	335034.72	252542.20	78559.48
लिडो (ओसीपी)	17896.36	81300.33	20894.74	849.71	0
कुल	**341869.56**	**776960.16**	**894617.37**	**753881.04**	**561958.52**
ओएमएस (आंकड़े टन में)					
यूजी	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
ओसी	2.80	3.67	5.21	5.84	4.26
समग्र	1.39	1.92	2.86	3.37	2.62

प्रारंभिक भंडार (आंकड़े टन में)					
	01.04.2016 की स्थिति के अनुसार	01.04.2017 की स्थिति के अनुसार	01.04.2018 की स्थिति के अनुसार	01.04.2019 की स्थिति के अनुसार	01.04.2020 की स्थिति के अनुसार
कुल	**359405.45**	**182727.29**	**69434.93**	**99523.33**	**54395.49**
जनशक्ति (आंकड़े संख्या में)					
	01.04.2016 की स्थिति के अनुसार	01.04.2017 की स्थिति के अनुसार	01.04.2018 की स्थिति के अनुसार	01.04.2019 की स्थिति के अनुसार	01.04.2020 की स्थिति के अनुसार
कार्यपालक	107	96	99	105	96
गैर–कार्यपालक	1770	1610	1436	1290	1117
कुल	**1877**	**1706**	**1535**	**1395**	**1213**
लाभ/हानि (आंकड़े करोड़ में)	**(-) 59.72**	**(-)123.56**	**(-)121.06**	**(-)84.33**	**(-)155.01**